



न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

03/2020

तारीखरजः- 24-1-2020

उनवानः- सुरेश बनाम रामचरण वगै०

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212

क्र.सं.	फर्द अहकाम
2020	<p>प्रार्थी की और से अधिवक्ता श्री हंसराम गूर्जर एडवोकेट हाजिर तथा प्रार्थी के पक्ष में अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पारित नहीं किये जाने पर वाद व प्रार्थना पत्र का उद्देश्य ही असफल हो जायेगा। प्रार्थना पत्र अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा के बिन्दू पर वकील प्रार्थी को सुना गया। वकील प्रार्थी का कथन है कि अप्रार्थीगण प्रश्नगत भूमि में सायलान को प्रार्थी के पक्ष में अन्तरिम निषेधाज्ञा जारी की जावे। प्रार्थना पत्र की प्रकृति एवं आकस्मिकता को देखते हुए अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है, कि दिनांक 31.01.2020 तक विवादग्रस्त आराजी ख0न0 195/1695/0.10, 373/0.35, 588/0.07, 589/0.30, 726/0.33, 727/0.07, 728/0.07, 812/0.36, कुल कित्ता 8 कुल रकवा 1.65 है० ग्राम गोरडा तहसील टोडाभीम जिला करौली में रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबन्द किया जाता है।</p> <p>प्रार्थी को निर्देशित किया जाता है। कि अप्रार्थीगण के नोटिस तामिल को सामान्य व साधारण प्रक्रिया के साथ-साथ अप्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र दस्तावेज व नोटिस आदि की प्रतिया रजिस्टर्ड डाक से भिजवाना सुनिश्चित करे। तथा आगामी पेशी पर इस आशय का शपथ पत्र तथा रसीद प्रस्तुत भी करे। तथा बहस हेतु तैयार नहीं होने पर आगामी सुनवाई को अस्थाई निषेधाज्ञा स्वतः निष्प्रभावी मानी जावेगी। प्रकरण को स्वच्छ हाथों से प्रस्तुत किया हुआ मानकर तथा एक पक्षीय सुनवाई के आधार पर न्यायालय के विवेकाधीन शक्तियों के तहत यह अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है। लिहाजा प्रार्थीगण से यह अपेक्षा की जाती है। कि वह उपरोक्तानुसार अप्रार्थीगण पर एक पक्षीय आदेश की तामिल की उपर्युक्तानुसार ठोस कार्यवाही कर इस न्यायालय को प्रमाण पेश करे। तथा आदेश 39 नियम (3) (क) के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करे। अन्यथा अन्तरिम आदेश को आईन्दा तारीख पेशी तक विस्तारित करने से पूर्व न्यायालय अपने विवेकाधिकार एवं अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करेगा। जिन परिस्थितियों में यह अन्तरिम निषेधाज्ञा पारित की गई है में परिवर्तन की दशा में संशोधित/वैकेट कर दी जावेगी। अप्रार्थीगण को जरिए रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 31.01.2020 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">  उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली </p> <p>31-1-20 प्रार्थी वकील उपर्युक्त रसीद आदि को पेश करके नए नए दस्तावेज रसीद आदि दिनांक 7-2-20 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">  </p>

न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

दिनांक	फर्द अहकाम
--------	------------


4.2.20

प्राची एवं प्राची वकील ने उपस्थित होकर प्रार्थनापत्र पत्रावली तालब कर मुकदमा खारिज करने पेश किया। पत्रावली तालब की गई। पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो जाने से मुकदमा खारिज करने का कथन कर हस्ताक्षर किये। अतः यह प्रार्थनापत्र अर्थात् निवेधाना Not-Press में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल नुसार होकर नम्बर से कम होकर दारिबल दफतर हो।

शु 221

gd.

शु
Adv.


उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

